

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 19, गुरुवार, शाके 1947- जुलाई 10, 2025 Asadha 19, Thursday, Saka 1947- July 10, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 30, 2025

संख्या प.10(38) कृषि/गुप-2/1985 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 13.10.1966 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) अजमेर की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) अजमेर के अधीन गौण मण्डी क्षेत्र नसीराबाद जो कि पूर्व में राजस्थान सरकार कृषि विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.1972 को घोषित की गई थी, के ग्राम दिलवाडा में गौण मण्डी यार्ड निर्माण किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम दिलवाडा-नसीराबाद में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

पूर्व दिशा में- खसरा नं. 1620/549 पूर्व दिशा में तालाब की पाल तक एवं खसरा नं.576 तालाब की पाल के सहारे

पश्चिम दिशा में - खसरा नं. 575/1850 राष्ट्रीय राजमार्ग तक

उत्तर दिशा में - खसरा नं. 575/1850 (खसरा नं. 564 से लगता हुआ दक्षिण दिशा की ओर)

दक्षिण दिशा में - खसरा नं. 575/1850 (खसरा नं. 635 के उत्तरी छोर तक)

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार विज्ञप्त करती है कि इस मण्डी क्षेत्र में उपरोक्त मुख्य मण्डी यार्ड की सीमाओं से लेकर ग्राम पंचायत दिलवाडा की वर्तमान सीमाओं तक कोई स्थानीय अधिकारी किसी विधि के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और कोई अन्य व्यक्ति इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख पर या पश्चात् उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति किसी भी कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय के लिये कोई स्थान नहीं जमायेगा/स्थापित करेगा या कायम रखे जाने की अनुमति नहीं देगा।

आगे राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड 10 के अन्तर्गत गौण मण्डी प्रांगण ग्राम दिलवाडा-नसीराबाद की उक्त सीमाओं को छोड़कर ग्राम पंचायत दिलवाडा-नसीराबाद के सम्पूर्ण क्षेत्र को “मार्केट प्रोपर” घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
अशोक कुमार मीणा,
शासन उप सचिव।